भारत सरकार

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 413

21 जुलाई, 2026 को उत्तरार्थ

विषय- गन्ने की खेती का विस्तार

413. श्री हरेन्द्र सिंह मलिकः

क्या **कृषि और किसान कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार मुजफ्फरनगर और बिजनौर जिलों को जैव-ऊर्जा केंद्र बनाने के उद्देश्य से इन जिलों में चीनी से जैव-ऊर्जा तक गन्ने की खेती के दायरे का विस्तार करने के लिए कोई विशेष बजटीय प्रोत्साहन प्रदान कर रही है यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार पीएम-कुसुम योजना के अंतर्गत मुजफ्फरनगर और बिजनौर जिलों में गन्ना किसानों को सिंचाई के लिए सौर पंपों पर कोई अतिरिक्त राजसहायता प्रदान करने पर विचार कर रही है;

(ग) क्या सरकार एफआरपी फार्मूले में संशोधन करने पर विचार कर रही है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि किसान चीनी मिलों में उत्पादों की तरह बिजली और एथोनॉल के उत्पादन से होने वाली आय से सीधे अपना हिस्सा प्राप्त कर सकें यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) मुजफ्फरनगर जिले में गिरते भू-जल स्तर को देखते हुए प्रति बूंद अधिक फसल योजना के अंतर्गत ड्रिप सिंचाई को बढ़ावा देने के संबंध में निर्धारित लक्ष्य का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)

(क) भारत में गन्ना एक महत्वपूर्ण वाणिज्यिक फसल है जिसकी खेती वर्ष 2020-21 से 2024-25 की अवधि के दौरान, औसतन 54.20 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में की गई तथा औसत उत्पादन 448.62 मिलियन टन रहा। चीनी की घरेलू आवश्यकताओं को पूर्ण करने के अतिरिक्त, गन्ना विभिन्न तरह के वैल्यू-एडेड उत्पादों जैसे गुड़, खांडसारी, इथेनॉल आदि के लिए कच्चा माल (फीडस्टॉक) भी उपलब्ध कराता है। इसके अतिरिक्त, इसके बाय-प्रोडक्ट जैसे मोलासेस, बेगास और प्रेस मड का उपयोग इथेनॉल, नवीकरणीय बिजली, जैविक खाद तथा कंप्रेस्ड बायोगैस का निर्माण करने में किया जाता है।

उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय देश भर में विभिन्न योजनाएं लागू करते हैं, जिनमें बायो-एनर्जी के लिए चीनी मिलों को सहायता प्रदान करना भी शामिल है। खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग द्वारा पेट्रोल के साथ इथेनॉल का मिश्रण (ईबीपी) प्रोग्राम के तहत 'इथेनॉल उत्पादन क्षमता को बढ़ाने और उसका विस्तार करने के लिए चीनी मिलों/डिस्टिलरी को वित्तीय सहायता प्रदान करने की योजना' के अंतर्गत इथेनॉल का उत्पादन और उसकी सप्लाई विशेषतः उन सीज़न में बढ़ाने के उद्देश्य से, जब चीनी का उत्पादन

आवश्यकता से अधिक हो लागू की गई थी। इस योजना का लक्ष्य चीनी मिलों की नकदी की स्थिति (लिक्विडिटी) को बेहतर बनाना भी था, ताकि वे किसानों को गन्ने का बकाया मूल्य चुका सकें। इस योजना के तहत, सरकार द्वारा नई डिस्टिलरी लगाने, मौजूदा डिस्टिलरी का विस्तार करने या मोलासेस आधारित डिस्टिलरी को दोहरे कच्चा माल (फीडस्टॉक) में परिवर्तित करने के लिए प्रोजेक्ट शुरू करने वालों को बैंकों से लिए गए ऋण पर पांच वर्ष तक (जिसमें एक वर्ष का मोरेटोरियम भी शामिल है) 6% सालाना या बैंकों द्वारा ली जाने वाली ब्याज दर का 50% (जो भी कम हो) की दर से ब्याज सब्सिडी के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान की गई। योजना के तहत, वर्ष 2018 से 2022 तक आवेदन के लिए कई विंडो खोली गईं और सहकारी चीनी मिलों के लिए 6 महीने की एक अलग योजना विंडो दिनांक 06.03.2025 को अधिसूचित की गई। वर्तमान में, इथेनॉल ब्याज सब्सिडी योजना के तहत आवेदन के लिए कोई विंडो खुली नहीं है।

नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय अपने 'राष्ट्रीय बायो-एनर्जी कार्यक्रम' के तहत वेस्ट-टू-एनर्जी प्लांट, बायोमास-आधारित बिजली परियोजनाओं और बायोमास-आधारित ब्रिकेट/पेलेट बनाने वाली परियोजनाओं को लगाने के लिए केंद्रीय वित्तीय सहायता प्रदान कर रहा है, उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर और बिजनौर जिले सहित। 'राष्ट्रीय बायो-एनर्जी कार्यक्रम' के तहत स्वीकृति प्रदान करने के लिए यह योजना दिनांक 31.03.2026 तक लागू थी। तथापि, उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर और बिजनौर जिलों को 'राष्ट्रीय बायो-एनर्जी कार्यक्रम' के तहत बायो-एनर्जी हब बनाने के उद्देश्य से, गन्ने की खेती के दायरे को चीनी उत्पादन से बायो-एनर्जी की ओर बढ़ाने के लिए कोई अलग बजटीय प्रोत्साहन नहीं दिया जा रहा है।

(ख) उत्तर प्रदेश सरकार पीएम-कुसुम योजना के घटक-ख के तहत राज्य के सभी जिलों में किसानों को 2 एचपी से 7.5 एचपी क्षमता वाले सोलर पंप लगाने के लिए 60% सब्सिडी प्रदान करती है। इसके अतिरिक्त, 7.5 एचपी वाले सोलर पंपों के लिए मिलने वाली सब्सिडी अब 10 HP वाले सोलर पंपों के लिए भी प्रदान की जा रही है। मुजफ्फरनगर और बिजनौर लोकसभा क्षेत्रों में गन्ना किसानों को विशेष रूप से कोई अतिरिक्त सब्सिडी प्रदान नहीं की जा रही है।

(ग) केंद्र सरकार, गन्ना (नियंत्रण) आदेश, 1966 की धारा 3(1) में सूचित कारकों के आधार पर, राज्य सरकारों और अन्य संबंधित पक्षों से सलाह करके कृषि लागत एवं मूल्य आयोग (सीएसीपी) की सिफारिशों पर, चीनी सीज़न (अक्टूबर-सितंबर) के लिए गन्ने का उचित और लाभकारी मूल्य (एफआरपी) तय करती है। एफआरपी फ़ॉर्मूले में परिवर्तन करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(घ) उत्तर प्रदेश सरकार के बागवानी विभाग द्वारा वर्ष 2025-26 के दौरान, मुज़फ़्फ़रनगर ज़िले में गन्ने की खेती में ड्रिप सिंचाई प्रणाली लगाने के लिए 1,500 हेक्टेयर का लक्ष्य रखा गया था, जिसके तहत 1,208 हेक्टेयर क्षेत्र को कवर किया गया है।
